

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद हमीरपुर में बिलराया-पनवाडी मार्ग (एस0एच0-21) के चैनेज 399.600 से 427.000 (चिकासी से राठ) चार लेन के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में 49.32 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं 2611 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव सं0-(एफ.पी./यू.पी./रोड/41235/2019)

राज्य सरकार की सिफारिशें-वन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-363/81-2-2020-800(02)/2020, दिनांक 20 मई 2020 के द्वारा प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की संस्तुति के आधार पर संस्तुत।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

दिनांक :-

हस्ताक्षर

()

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर
(डॉ० दीपक कोहली)

उप सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उ० प्र० शासन